न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 50/219

उनवान

1. मथरा,
2. पूसी पि0 कल्याण जाति जाट नि0 साम्प्रोदा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. नौसर पत्नी कल्याण,
2. मांगीलाल उर्फ मांगू,
3. रामधन पि0 कल्याण,
4. रतनी पत्नी गोरधन,
5. हनुमान,
6. पंछी पि. गोरधन जाति जाट नि. ग्राम साम्प्रोदा, नसीराबाद,
7. बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 10/9/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. साम्प्रोदा के खाता संख्या 729/715 किता 2 रकबा 0.76, 728/714 किता 15 रकबा 4.52 व खसरा नम्बर 454 रकबा 0.01 की आराजी वादीगण के पिता कल्याण की पुश्तैनी खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो कि वादीगण के माता व भाई है उपरोक्त आराजी को बचान करने पर सख्त आमादा है। उक्त पैतृक भूमि पर वादीगण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे व हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :—

1. आया आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने से वादीगण खातेदारी व विभाजन कराने के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम व प.म. साम्प्रोदा के 728/714 किता 15 रकबा 4.52 की आराजी प्रतिवादीगण के नाम खाता संख्या 729/715 किता 2 रकबा 0. 76 व खसरा नम्बर 454 रकबा 0.01 की आराजी प्रतिवादीगण व अन्य व्यकितंयों की सह खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक भूमि के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा व विभाजन हेतु पेश किया है। किन्तु वादीगण द्वारा वाद के साथ अथवा बाद में ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया है जिससे आराजी मुतनाजा पैतृक सिद्व होती हो। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में खातेदार दर्ज है। कल्याण अथवा उसके पिता के नाम की खातेदारी का राजस्व अभिलेख वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया है। साथ ही विभाजन के वाद में अन्य सह खातेदारों को भी पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है। वादीगण अधिवक्ता ने प्रकरण में साक्ष्य भी पेश नही करना जाहिर किया है। साक्ष्य के अभाव में भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्रापत करने के अधिकारी नही है। राजस्व अभिलेख व साक्ष्य के अभाव में वाद के कथनों की ताईद नही होती है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम व प.म. साम्प्रोदा के खाता संख्या 729/715 किता 2 रकबा 0.76, 728/714 किता 15 रकबा 4.52 व खसरा नम्बर 454 रकबा 0.01 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मथरा बनाम नौसर

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 50/2019
पेश करने की दिनांक – 22.05.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सुखदेव चौधरी अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम व प.म. साम्प्रोदा के खाता संख्या 729/715 किता 2 रकबा 0.76, 728/714 किता 15 रकबा 4.52 व खसरा नम्बर 454 रकबा 0.01 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद